بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

Office of The sadar Majlis Ansarullah Bharat

دفتر صدر مجلس انصار اللہ بھارت

Ph. +91-01872-220186, Fax, +91-01872-224186, Mob, +91-94170-20616, E-Mail: ansarullahbharat@gmail.com

सारांश खुत्बः जुम्अः सैय्यदना ख़लीफ़तुल मसीहिल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ दिनांक 22.01.16 मस्जिद बैतुल फ़तूह लंदन।

इस्लाम में दंड का प्रावधान अवश्य है परन्तु साथ ही क्षमा एंव सहिष्णुता का भी आदेश है। बदी और बुराई का काम करने वालों को दंड दो परन्तु उस दंड के पीछे भी यह धारणा होनी चाहिए कि इस दंड के कारण बदी करने वाले अथवा हानि पहुंचाने वाले तथा अपराध करने वाले का सुधार हो। अतः जब सुधार उद्देश्य है तो फिर दंड देने से पहले यह सोचो कि क्या दंड देने से यह उद्देश्य प्राप्त हो सकता है।

तशह्हुद तअव्वुज़ और सूरः फ़ातिहः की तिलावत के बाद हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया-

وَجَزٰٓؤُا سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثۡلُهَا ۚ فَمَنۡ عَفَا وَاَصۡلَحَ فَاَجۡرُهٗ عَلَی اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۴۱﴾ [۴۲:۴۰] और बदी का बदला, की जाने वाली बदी के बराबर होता है। अतः यदि कोई क्षमा कर दे परन्तु शर्त यह है कि वह सुधार करने वाला हो तो उसका प्रतिफल अल्लाह के पास है। निःसन्देह वह अत्याचारियों को पसन्द नहीं करता।

इस्लाम की शिक्षानुसार किसी कुकर्म करने वाले, हानि पहुंचाने वाले से, चाहे वह छोटे स्तर पर नुक़सान पहुंचाने वाला हो अथवा बड़े स्तर पर हानि पहुंचाने वाला हो या दुश्मन हो, प्रत्येक के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने की शिक्षा दी गई है जो उसके सुधार की धारणा लिए हुए हो। इस्लाम में दंड देने की प्रक्रिया अवश्य है परन्तु साथ ही माफ़ी तथा सहिष्णुता का भी आदेश है। इस आयत में भी जैसा कि आपने सुना, यही आदेश है बदी और बुराई का काम करने वालों को दंड दो परन्तु उस दंड के पीछे भी यह धारणा होनी चाहिए कि इस दंड के कारण बदी करने वाले अथवा हानि पहुंचाने वाले तथा अपराध करने वाले का सुधार हो। अतः जब सुधार उद्देश्य है तो फिर दंड देने से पहले यह सोचो कि क्या दंड देने से यह उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। यदि विचार करने के बाद भी, अपराधी की परिस्थिति देखने के बाद भी इस ओर ध्यान जाता है कि इस अपराधी का सुधार तो क्षमा कर देने से हो सकता है, तो फिर माफ़ कर दो अथवा यदि दंड देने से सुधार हो सकता है तो दंड दो। और यह क्षमा करना भी तुम्हें अल्लाह तआला की ओर से आदेश है। अल्लाह तआला फ़रमाता है कि वह अत्यधिक प्रतिफल का उत्तराधिकारी बनाएगा। अंत में انه لا یحب الظالمین कह कर यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि दंड देने में अति करोगे तो अत्यचारियों में गिने जाओगे। इस प्रकार यह मूल सिद्धांत तथा दंड एंव सुधार का प्रावधान, क़ुरआन शरीफ़ में पेश हुआ है जो हमारी व्यक्तिगत जीवन व्यवस्था पर भी प्रभावी है तथा शासनिक व्यवस्था में भी अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुधार के लिए भी यही आधार है। किसी अपराधी को दंड देने का मूल उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, सुधार है तथा नैतिक अच्छाई है।

अतः इस्लाम कहता है कि केवल दंड देने पर बल न दो बल्कि सुधार पर बल दो। यदि तुम समझते हो कि क्षमा करने से सुधार होगा, तो क्षमा कर दो। यदि प्रस्थितियाँ एंव घटनाएँ यह कहती हैं कि दंड देने से सुधार होगा तो दंड दो, परन्तु दंड देने में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि दंड, अपराध के अनुसार हो अन्यथा यदि अपराध से अधिक दंड है तो यह अत्याचार एंव अति है तथा अत्याचार एंव अति को अल्लाह तआला पसन्द नहीं करता।

अतः इस्लाम में पिछले धर्मों की भांति न्यूनाधिकता नहीं है। इसके विषय में उच्चतम नमूने हमें आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में दिखाई देते हैं। जब आपने देखा कि अपराधी का सुधार हो गया है तो अपने अत्यधिक ज़ालिम दुश्मन को भी क्षमा फ़रमा दिया। आप पर, आपकी संतान पर, आपके सहाबा पर क्या क्या अत्याचार नहीं हुए परन्तु जब दुश्मन ने क्षमा याचना की तथा उसके रसूल के आदेशानुसार जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ भूल कर क्षमा कर दिया। हदीस मे आता है कि आँ हज़रत की साहिबज़ादी हज़रत ज़ैनब पर जब मक्का से हिजरत के समय एक निर्दयी व्यक्ति हब्बार बिन असवद ने भाला से आक्रमण किया वे उस समय गर्भ से थीं। इस आक्रमण के कारण आपको घाव

भी लगे तथा आपका गर्भ भी नष्ट हो गया। अन्ततः ये घाव आपके लिए जान लेवा साबित हुए। इस अपराध के कारण उस व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का निर्णय दिया गया परन्तु आपकी क्षमा शीलता, आपका क्षमा करना इतना व्यापक है कि जब वह अपने कुकर्म तथा अपराध को स्वीकार करते हुए क्षमा याचना करने लगा तो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबज़ादी के इस हत्यारे को भी क्षमा कर दिया तथा फ़रमाया कि जा हब्बार, अल्लाह का तुझ पर उपकार है कि उसने तुझे इस्लाम स्वीकार करने करने का वरदान दिया तथा सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ दी।

इसी प्रकार इस रिवायत में आता है कि एक कवि कअब बिन ज़हीर था जो मुसलमान महिलाओं के विषय में बड़े गन्दे शेअर (पद्य) कहा करता था तथा उनकी पवित्रता पर आक्रमण किया करता था उसकी भी सज़ा का आदेश जारी हो चुका था। जब मक्का विजय हुआ तो कअब के भाई ने उसे लिखा कि मक्का विजय हो चुका है, अच्छा है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्षमा मांग लो। अतः जब वह तौबा करके मक्का आ गया और क्षमा याचना की तो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर स्नेह फ़रमाते हुए उसे भी माफ़ कर दिया। फिर उसने एक मुक्तक भी आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में प्रस्तुत किया। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक सुन्दर चादर देकर उसे पुरस्कृत किया।

अतः यह शत्रु जिसकी सज़ा का आदेश जारी हो चुका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से न केवल जान की क्षमा करा कर गया अपितु इनाम लेकर भी लौटा। तो इस प्रकार की अनेक घटनाएँ हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में जो हमें मिलती हैं। जब आपने सुधार के बाद अपने व्यक्तिगत दुश्मनों को भी क्षमा कर दिया, अपने निकट सम्बंधियों के शत्रुओं को भी क्षमा कर दिया तथा इस्लाम के दुश्मनों को भी माफ़ फ़रमाया। परन्तु जहाँ सुधार के लिए दंड देने की आवश्यकता थी, यदि सज़ा की आवश्यकता पड़ी तो दंड भी दिया आपने। तो वास्तविक उद्देश्य इस महत्त्व पूर्ण आदेश के कारण यह है कि तुमने सुधार करना है न कि बदला लेना। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सूरः शूरा की इस 41 वीं आयत की अपनी पुस्तकों तथा कथनों में कई स्थानों पर व्याख्या की है। आपकी लगभग 13 पुस्तकों में हवाले नज़र आते हैं या सम्भवतः इससे भी अधिक हों तथा इनमें इक्कीस बाईस स्थानों पर इस संदर्भ में आपने बात की है। इसी प्रकार अपनी मज्लिसों में भी कई स्थानों पर इसका वर्णन फ़रमाया। इस्लामी उसूल की फ़लास्फ़ी में आपने दंड एंव क्षमा का दर्शन शास्त्र तथा रूह बयान करते हुए फ़रमाया कि बुराई का बदला इतना ही है जितनी बदी की गई हो। (इस आयत के प्रकाश में) परन्तु जो व्यक्ति अपराध को क्षमा कर दे तथा ऐसे अवसर पर क्षमा करे कि इसके कारण सुधार होता हो, कोई बुराई न पैदा होती हो अर्थात पूर्णतः क्षमा की अवस्था हो, न कि बिना अवस्था के, तो इसका वह बदला पाएगा। (अर्थात क्षमा करने वाला अल्लाह तआला के यहाँ बदला पाएगा) फ़रमाया कि इस आयत से विदित होता है कि क़ुरआन की शिक्षा यह नहीं है कि अकारण ही प्रत्येक अवसर पर उपद्रव का मुक़ाबला न किया जाए (कई बार उपद्रव का मुक़ाबला करना पड़ता है) और उपद्रवियों एंव अत्याचारियों को दंड न दिया जाए बल्कि यह शिक्षा है कि देखना चाहिए कि वह अवसर और अवस्था पाप को क्षमा करने का है अथवा दंड देने का। अतः अपराधी के लिए तथा सामान्य जनता के हक़ में जो कुछ वास्तव में उचित हो वही प्रक्रिया की जाए। आजकल मानवाधिकारों के झंडे लिए फिरते हैं जो लोग, वे एक ओर ही झुक गए। किसी का कितना ही बड़ा अपराध हो, मानव सहानुभूति के नाम पर अपराधियों को भी इतनी छूट दी जाती है कि बहुत से अपराधी जो हैं उनको, उनमें अपराधों की अनुभूति ही समाप्त हो गई है। हत्यारे हैं, पेशावर हत्यारे हैं अथवा घमंड एंव अभिमान में इतने बढ़े हुए हैं कि उन्हें अपने अतिरिक्त किसी के जीवन का कोई महत्त्व दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों की सज़ा तो हत्या ही होनी चाहिए सिवाए इसके कि वधित के अभिभावक स्वयं क्षमा कर दें।

फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह फ़रमाया कि केवल यही नहीं देखना कि अपराधी के लिए क्या उचित है। कई बार यह देखना होता है, केवल अपराधी का ही ध्यान नहीं रक्खा जाता, कि सामान्य समाज में क्या उचित है। छोटी चीज़ को बड़ी के लिए बलिदान करना अथवा समाज के व्यापक लाभ को सम्मुख रखना, यह आवश्यक हो जाता है कई बार। इस लिए किसी भी सज़ा के निर्णय के समय यह देखना भी आवश्यक है कि समाज पर भी सामूहिक रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। कई बार क्षमा कर देना समाज में अनुचित प्रभाव उत्पन्न करता है कि देखो कितना बड़ा अपराधी एक कुकर्म करके फिर बच गया

तो असामाजिक तत्व यह सोचते हैं कि हम भी कुकर्म करके तथा क्षमा मांग कर बच जाएँगे। ऐसी प्रस्थिति फिर अपराधियों को अपने बुरे काम करने के लिए उत्साहित करती है तथा प्रोत्साहन देती है। यदि क्षमाएँ अपराधियों को निर्भय कर रही हैं तो फिर दंड की आवश्यता है न कि क्षमाओं की। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक अवसर पर इस्लाम की सुन्दर शिक्षा का तौरैत और इंजील से तुलना करते हुए फ़रमाया कि इंजील में लिक्खा है कि तू बदी का मुक़ाबला न कर। अर्थात इंजील की शिक्षा अधिकाय की ओर झुकी हुई है तथा विशेष प्रस्थितियों के अतिरिक्त मनुष्य इसके अनुसार कार्य कर ही नहीं सकता। दूसरी ओर तौरैत की शिक्षा को देखा जावे तो वह न्यूनता की ओर झुकी हुई है और उसमें भी केवल एक ही बात की ओर बल दिया गया है कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख और कान के बदले कान और दाँत के बदले दाँत तोड़ दिया जावे। उसमें क्षमा एंव सहुष्णता का नाम तक भी नहीं लिया गया। परन्तु क़ुरआन शरीफ़ ने हमें कैसा पवित्र मार्ग बताया है जो न्यूनाधिकता तथा मूलतः मानव प्रकृति के अनुसार है। उदाहरणतः क़ुरआन शरीफ़ में फ़रमाया है कि وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ अर्थात जितनी बदी की गई हो उतनी ही बदी करना उचित है अर्थात उतना ही दंड देना उचित है परन्तु यदि कोई माफ़ कर दे और इस क्षमा में सुधार सम्मुख हो, अकारण एंव बिना अवसर के क्षमा न हो बल्कि उचित अवसर पर हो तो ऐसे माफ़ करने पर उसके लिए प्रतिफल है जो उसे ख़ुदा से मिलेगा।

अतः इस्लाम की शिक्षा ही है जो प्रत्येक युग में दुनया की समस्याओं का निवारण है चाहे वे दंड के लिए हों अथवा अन्य समस्याएँ हों। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि एक वर्ग तो वह है जो क्षमा करना जानता ही नहीं और दादों परदादों के समय की शत्रुताएँ भी याद रक्खी हुई हैं तथा दूसरी ओर ऐसे निर्लज्ज एंव पिशाच लोग हैं तथा नेक चलन पर एक प्रकार का धब्बा हैं, क्षमा के नाम पर निर्लज्जता दिखाते हैं। अतः निर्लज्जता भी नहीं होनी चाहिए तथा अत्याचार भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई किसी की बेटी या बहिन की लाज पर आक्रमण करता है, पवित्रता पर प्रहार करता है तो नियमानुसार कार्य-वाही करनी चाहिए, वहाँ क्षमा का प्रश्न नहीं है। अतः क्षमा तथा निर्लज्जता में अन्तर भी ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए। परन्तु क़ानून अपने हाथ में नहीं लेना, यह हर हाल में शर्त है।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कई स्थानों पर इस संदर्भ में व्याख्या की है। आपके कुछ अन्य हवाले भी पेश करता हूँ। प्रत्यक्षतः इन हवालों को देखने से यह लगता है कि एक ही विषय नज़र के सामने आ रहा है परन्तु प्रत्येक स्थान पर आपने इस संदर्भ में जो कुछ फ़रमाया है इस पर भिन्न भिन्न रंग तथा उपदेश हैं। एक स्थान पर आपने फ़रमाया कि बदी का बदला इतना ही है जितनी बदी की गई है परन्तु जो व्यक्ति क्षमा कर दे तथा पापी को क्षमा दे दे तथा इस क्षमा से कोई सुधार होता हो न कि कोई बुराई तो ख़ुदा उससे प्रसन्न है तथा उसे इसका बदला देगा। अतः क़ुरआन के अनुसार, न प्रत्येक स्थान पर बदला लेना उचित है न बदला लेना प्रशंसनीय है और न प्रत्येक अवसर पर क्षमा प्रशंसनीय है बल्कि अवसर को पहचानना चाहिए और यह चाहिए कि बदला लेने तथा क्षमा कर देने की प्रक्रिया अवसर एंव अवस्था की पाबन्दी के साथ हो, न कि अकारण, यही क़ुरआन का अर्थ है।

अतः फ़रमाया- ख़ुदा उस व्यक्ति से प्रसन्न होता है जिसकी धारणा नेक है तथा उसके कर्म एंव कामों का उद्देश्य सुधार है। पिशाच व्यक्ति के क्षमा करने से ख़ुदा प्रसन्न नहीं होगा, न उससे प्रसन्न होता है जो प्रतिशोध की भावना रखता हो। ये दोनों चीज़ें सामने होनी चाहिएँ। न इतनी नम्रता हो कि बिल्कुल निर्लज्ज हो जाए, इससे भी अल्लाह तआला प्रसन्न नहीं होता तथा न यह हो कि प्रतिशोध की धारणा हो यह भी अल्लाह तआला को अप्रसन्न करती है। अतः इन दोनों सीमाओं को सम्मुख रखते हुए क्षमा तथा दंड के निर्णय लेने चाहिएँ। इस विषय में जमाअत के पदाधिकारियों तथा निज़ाम को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः तो ध्यान रक्ख जाता है, कुछ लोगों के विरुद्ध जो निर्णय होते हैं अथवा सिफ़ारिश मुझे आती है, मैं यह तो नहीं कहता कि प्रतिशोध की भावना से आती है परन्तु यह अवश्य कई बार होता है कि सिफ़ारिश करने वाले का झुकाव प्राकृतिक रूप से कठोरता की ओर होता है तथा कुछ लोग अत्यधिक नम्रता एंव क्षमा का रोहजान रखते हैं जिसके कारण फिर ख़राबियाँ उत्पन्न होती हैं। अतः न तो दंड देना अच्छा है और न माफ़ करना प्रशंसनीय है, वास्तविक भावना अल्लाह तआला की प्रसन्नता प्राप्ति है और

यह उस समय प्राप्त होती है जब सुधार करना उद्देश्य हो तथा इसके लिए सम्बंधित विभागों को चाहिए कि वे प्रयास करें, चाहे वह उमूर आम्मा है अथवा कज़ा है कि बड़ी गहराई में जाकर सिफ़ारिश और फ़ैसले करने चाहिएँ ताकि वह वास्तविक निज़ाम एंव अवस्थाएँ हम अपने अन्दर पैदा कर सकें जो ख़ुदा तआला की रज़ा प्राप्त करने वाले हों और इसके लिए ख़ुदा तआला से दुआ एंव सहायता मांगने की भी आवश्यकता है। जब भी कोई निर्णय हो, दुआ के साथ हो फिर ख़लीफ़-ए-वक़्त के पास सिफ़ारिश होनी चाहिए ताकि हर प्रकार के बुरे प्रभाव से, वह व्यक्ति भी सुरक्षित रहे जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है तथा निज़ाम-ए-जमाअत भी सुरक्षित रहे और जमाअत में किसी भी प्रकार का फ़ैसला, व्याकुलता का कारण न बने। इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर अपनी पुस्तक नसीम-ए-दावत में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस विषय को बयान करते हुए कि आपत्ति कर्ता जो हैं, इस्लाम के तथा ग़ैर मुस्लिमों को इस्लाम की इस सुन्दर शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, आपने यह बड़े विस्तार पूर्वक बताया कि यह इतनी सुन्दर शिक्षा है जो किसी अन्य धर्म में नहीं। आपने फ़रमाया कि यदि कोई तुम्हें दुःख पहुंचावे, उदाहरणतः दाँत तोड़ दे या आँख फोड़ दे तो उसकी सज़ा उतनी ही है जो उसने किया परन्तु यदि तुम ऐसी अवस्था में उसका पाप क्षमा कर दो ताकि इस क्षमा का कोई नेक परिणाम पैदा हो तथा इसके द्वारा सुधार हो सके। अर्थात, उदाहरणतः अपराधी भविष्य में इस कुकर्म से रुक जाए (सुधार हो जाए तथा दोषी आइंदा बाज़ आ जाए) तो ऐसी अवस्था में माफ़ करना ही उचित है तथा इस क्षमा शीलता का ख़ुदा से प्रतिफल मिलेगा।

जिस प्रकार प्रकृति का नियम यह है कि हमारा भोजन भी अदलता बदलता रहता है और खाद्य सामग्री भी मौसमों के अनुसार अल्लाह तआला ने उत्पन्न फ़रमाई है। इसी प्रकार गर्मी सर्दी के मौसम में कपड़ों का अदलना बदलना है। ये सारी चीज़ें प्रकृति के नियमानुसार हैं। फ़रमाया- इसी प्रकार हमारी नैतिक अवस्था भी आवश्यकतानुसार बदलाव को चाहती है। एक समय धाक बिठाने का अवसर होता है वहाँ नम्रमता एंव सहिष्णुता दिखाने से काम बिगड़ता है तथा दूसरे समय पर नम्रता एंव सहन शीलता दिखाने का अवसर होता है और वहाँ रोअब दिखलाना हीन कार्य समझा जाता है। अभिप्राय यह है कि प्रत्येक अवसर एंव प्रत्येक अवस्था एक बात को चाहती है अतः जो व्यक्ति अवसर का ध्यान नहीं रखता वह हैवान है न कि इंसान, और जंगली है न कि सभ्य।

फिर एक स्थान पर आपने फ़रमाया कि क़ुरआन शरीफ़ ने अकारण ही क्षमा एंव सहिष्णुता को उचित नहीं रक्खा, क्यूँकि इसके द्वारा इंसान के आचरण का बिगाड़ होता है तथा सामाजिक विकास उथल पुथल हो जाता है बल्कि उस क्षमा की अनुमति प्रदान की है जिससे कोई सुधार हो सके।

यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों में तथा परस्पर सम्बंधों में आत्म निरीक्षण करे कि वह अन्य लोगों के विषय में क्या भावना रखता है तथा अपने बारे में क्या सोचता है तो इसके द्वारा समाज में एक सुन्दरता पैदा होती है।

अतः मूल बिन्दु यही है कि हर समय यह धारणा रहे कि प्रत्येक कर्म अल्लाह तआला की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए हो, जब यह होगा तभी सुधार होगा।

अतः इन दो बातों को हमें सदैव सम्मुख रखना चाहिए तथा इस लिए सामने रखना चाहिए कि सुधार करना है और बुराइयों को रोकना है हमने, समाज में अमन व सलामती का वातावरण पैदा करना है और सबसे बढ़कर यह कि ख़ुदा तआला को राज़ी करना है क्यूँकि वह अत्याचारियों को पसन्द नहीं करता। अल्लाह तआला हमें क़ुरआन के आदेशों को समझने तथा इनके अनुरूप कर्म करने का सामर्थ्य प्रदान करे।

ख़ुत्बः जुम्अः के अंत में हुज़ूर-ए-अनवर ने मुकर्रम महमूद साहब का शुभ वर्णन फ़रमाया जिनको 11 जनवरी को रबवा में शहीद कर दिया गया था। उनके सत्कर्मों एंव सेवाओं का वर्णन फ़रमाते हुए जनाज़ा ग़ायब पढ़ाने की घोषणा फ़रमाई।